फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

प्रदीप बनाम लाडू मेहर

मुकदमा नम्बर :– 25/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	08/11/17	वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी ने दस्तावेज सूची पेश कि। पत्रे अ.नि. हो। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजियात पैतृक भूमि है, जिसका अप्रार्थीगण फर्जी नामान्तरकरण नहीं खुलवाना चाहते है व बिना नामान्तरकरण खुलवाये व बिना तकसीम करवाये ही निर्माण कार्य करवा रहे है तथा दीगर खातेदारों को बेदखल करने पर आमादा है तथा प्रा.पत्र में वर्णित अन्य तथ्यों को दोहराया है। प्रा.पत्र व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गौर से अवलोकन किया। तथा बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति वस्तुतः साबित होता है। मूल वाद दौरान तकसीम व स्थायी निषेधाज्ञा का है जिसमें पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता रोकने के लिए उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि विवादित आ.ख.नं. 203, 204, 212 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.53 हे०	

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

संदीप बनाम [illegible]

मुकदमा नम्बर :– 25/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		भूमि वाके ग्राम चारणवास तहसील चौमूं जिला जयपुर के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के संलग्न रहे/